29

III/निग०/रीवा/2018/0352

न्यायालय श्री मान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर सार्किट कोर्ट रीवा

जिला रीवा म.प्र.

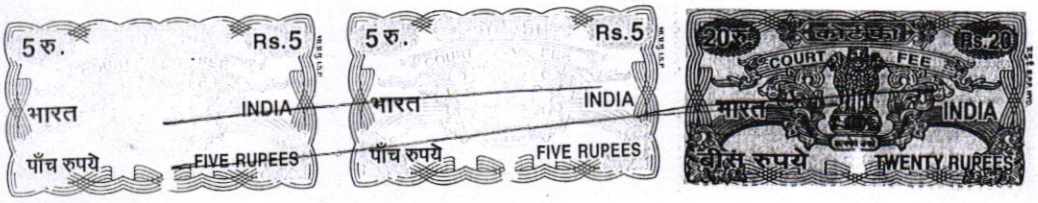

1:- जयप्रकाश तनयश्री रामवरण पेशा खेती

2:- ओम प्रकाश तनयश्री रामवरण पेशा खेती,

दोनों निवासी ग्राम टीकर तहसील हुजूर जिला रीवा म.प्र.

---- आवेदक गण

अधि० श्री कृष्णकुमार पाण्डेय द्वारा पेश। 11.1.18

राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

ब नाम

1:- नृपेन्द्र सिंह उम्र 62 साल तनयस्व. मोरध्वज सिंह पेशा खेती

2/- कुंवर कामध्वज सिंह तनयस्व. नारेन्द्र सिंह,

दोनों निवासी ग्राम टीकर तहसील हुजूर जिला रीवा म.प्र.

---- अनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्र.क्र. 288/अपील/017-2018 - आदेश दिनांक- 10.11.17.

अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू- राजस्व संहिता सन् 1959 ईसवी.

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न लिखित है:-

1:- यहकि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विरुद्ध होने से निरस्त योग्य है।

2:- यहकि अधीनस्थ न्यायालय मे प्रथम अपीलीय न्यायालय के आदेश केविरुद्ध आवेदक गण द्वारा अपील प्रस्तुत की थी, अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण .कथा

पृष्ठ

(29)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ
प्रकरण कमांक दो–निगरानी/रीवा/भू.रा./2018/352

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
01-08-18	निगरानी की ग्राह्यता पर आवेदकगण के अभिभाषक को पूर्व पेशी पर सुना जा चुका है। प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 288/17-18 अपील में पारित आदेश दिनांक 10-11-2017 के विरूद्ध म.प्र.भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है अनावेदकगण का नाम ग्राम टीकर की भूमि सर्वे कमांक 971 एंव 972 पर खसरे के भूमिस्वामी के कालम नंबर 3 में गलत दर्ज होना बताते हुये आवेदकगण ने लिपिकीय त्रृटि सुधार का आवेदन म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 115, 116 के अंतर्गत तहसील न्यायालय प्रस्तुत किया था, जिस पर तहसील न्यायालय में प्रकरण पॅजीबद्व किया जाकर दोनों पक्षों को साक्ष्य एंव सुनवाई का अवसर देकर आवेदकगण का आवेदन अमान्य किया गया है। तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी हुजूर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई , अनुविभागीय अधिकारी हुजूर ने प्रकरण कमांक 192 अ-6-अ/14-15 में पारित आदेश दिनांक 16-10-17 से अपील इस आधार पर निरस्त की गई है कि आवेदकगण यह प्रमाणित नहीं कर सके हैं भूमि सर्वे कमांक 971 एंव 972 उनके व्दारा मारध्वज सिंह से कब क्रय की गई । आवेदकगण व्दारा अधीनस्थ न्यायालया में प्रमाणस्वरूप विक्रय पत्र भी प्रस्तुत नहीं किये है, जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी हुजूर ने आदेश दिनांक 16-10-17 से आवेदकगण की अपील निरस्त की	

है , जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने आदेश दिनांक 10–11–2017 से आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त की है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा आदेशों में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 288/17–18 अपील में पारित आदेश दिनांक 10–11–2017 में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

3/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से इसी–स्तर पर अमान्य की जाती है।

सदस्य